अध्याय 10

सामाजिक न्याय

आठवीं कक्षा में पढ़ने वाला राजू अपने गाँव से शहर में अपनी बुआ के घर आया। वहाँ उसने पडोस के एक मकान में अपनी उम्र के एक लड़के को देखा, जो कि उस घर के बाकी बच्चों से अलग नजर आता था। वह उदास–उदास सा रहता था और कभी खेलता भी नहीं था। न ही वह विद्यालय में जाया करता था। वह घर के बाकी सदस्यों के काम करने में ही लगा रहता था। सभी उस पर हुक्म चलाते रहते थे और डाँटते–फटकारते भी रहते थे। वह घर के लोगों के जूते पॉलिश करता, उनका नाश्ता लगाता और जब घर के बाकी बच्चों के विद्यालय जाने का समय होता, तो बाहर गाड़ी में उनके बस्ते रखवाता और उनके लौटने पर बस्ते वापस कमरे में लाकर रखता। राजू उसे ध्यान से देखता था। वह समझ गया कि वह उस घर में घरेलू नौकर था। राजू ने उस लड़के के बारे में अपनी बुआ से पूछा तो उसने बताया कि उस लड़के का नाम रामू था। वह गाँव में रहने वाले अपने गरीब माता–पिता से दूर यहाँ शहर में काम करने आया था।

हम रामू जैसे उन लाखों बच्चों की बात करें, तो हम उन्हें सड़क किनारे बने ढाबों, चाय की दुकानों, ऑटोमोबाईल वर्कशॉपों आदि स्थानों पर काम करते हुए पाते हैं। अनेक बच्चों को हम शहरों में ट्रेफिक लाइट के इर्द–गिर्द भीख माँगते हुए भी देखते हैं। रोजमर्रा के जीवन में इन बातों का इस प्रकार घटित होना इन्हें सामान्य बना देता है और लगता है कि जैसे ये सब एकदम सामान्य बातें हैं। इसे इनका भाग्य मान लिया जाता है। यह महसूस नहीं होता कि इस प्रकार के लाखों बच्चों का बचपन गरीबी में पिसता जा रहा है और ये बच्चे या तो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या फिर काम–काजी होने के कारण भली–भाँति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

गतिविधि :

अपने गाँव या मोहल्ले के उन बच्चों के नाम व पता सहित एक सूची बनाइए जो विद्यालय नहीं जाते हैं। शिक्षकों की मदद से उन्हें विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करें।

आर्थिक असमानता

विश्व के सभी समाजों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास धन–संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन समाज के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक होते हैं। ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों में असमान रूप से बँटे हुए हैं। इस कारण से समाज में अमीरी और गरीबी होती है। समाज के कुछ वर्ग कई पीढ़ियों से साधनहीन और गरीब हैं, तो कुछ साधन–सम्पन्न और अमीर हैं। अमेरिकी समाज के अश्वेत लोगों की स्थिति इस बात का उदाहरण है कि तकनीकी रूप से उन्नत समाजों में भी यह स्थिति मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के 20 प्रतिशत धनी लोग दुनिया के 80 प्रतिशत संसाधनों के मालिक हैं, तो 80 प्रतिशत गरीब लोग 20 प्रतिशत संसाधनों के सहारे अपना जीवन बिताते हैं।

इस स्थिति को उचित या न्यायसंगत मानने वाले इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं कि समाज में गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं कि उनमें या तो योग्यता नहीं होती है या फिर वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए परिश्रम नहीं करते। उनके अनुसार यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहाँ

नहीं होते, जहाँ आज वे हैं। कुछ भाग्यवादी लोग इस स्थिति को उनके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल करार देते हैं। ऐसा मानते हुए उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराया जाता है। जबकि सत्यता यह है कि पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने पर ये वंचित लोग भी अपनी योग्यता का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं।

अवसरों की समानता और प्रयासों की सफलता

गौर करने पर हम पाते हैं कि जो लोग समाज में गरीब हैं, वे भी कठोर परिश्रम द्वारा ही अपना जीवन बिताते हैं। संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन ढ़ोना, रिक्शा या ठेला खींचना जैसे कठिन परिश्रम के काम गरीब लोग ही करते हैं। फिर भी वे अपना जीवन शायद ही सुधार पाते हैं। समाज में निम्न समझे जाने वाले काम उनके हिस्से में आते हैं।

एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, ''यदि केवल परिश्रम ही इतनी अच्छी चीज होती, तो अमीर लोग इसे अपने लिए ही बचा कर रखते।'' इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जीवन में परिश्रम का महत्त्व नहीं है। कठोर परिश्रम और व्यक्तिगत योग्यता महत्त्वपूर्ण है, किन्तु जब अन्य पहलु बराबर हों, तब जाकर व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास एवं योग्यता संबंधी अभावों को गरीबी और अमीरी जैसी असमानता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। समाज में विद्यमान अवसरों की असमानता समाज में हाशिये पर मौजूद व्यक्तियों के परिश्रम और योग्यता को निरर्थक कर देती हैं। सच यह है कि समाज में सभी चीजें समाज के सभी व्यक्तियों या समूहों के लिए एक समान नहीं हैं।

सामाजिक असमानता

सामान्य रूप से सामाजिक असमानता व्यक्तियों के बीच होने वाली सहज भिन्नता के कारण नहीं होती है। व्यक्तिगत क्षमता से इसका कोई लेना–देना नहीं होता है। यह असमानता सामाजिक है, क्योंकि यह समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। बच्चे अपने माता–पिता की जो सामाजिक प्रस्थिति (status) होती है, उसी को पाते हैं। समाज में जो अधिकार सम्पन्न होते हैं, वे दूसरों को अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें अवसरों से वंचित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक असमानता पीढ़ी–दर–पीढी कायम रहती है। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं में एक मजबूत सम्बन्ध होता है। समाज में निचले क्रम में मौजूद वर्ग ही सबसे गरीब होते हैं। तथापि सामाजिक असमानता आर्थिक नहीं है। यह एक सामाजिक बहिष्कार है।

'सामाजिक बहिष्कार' वे तौर–तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है। उन्हें समाज में हाशिये पर रखा जाता है। ये तौर–तरीके व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं, जो अन्य व्यक्ति या समूहों के लिए खुले होते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति या समूह को समाज में हाशिये पर धकेल दिया जाता है। इस प्रकार से भेदभाव अथवा अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्राप्त व्यक्ति या समूह अन्ततः इसे अपनी नियति मान लेते हैं और वे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने का प्रयास बंद कर देते हैं। इस स्थिति में जहाँ एक ओर उन व्यक्तियों को व्यक्तित्त्व के विकास के अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो दूसरी ओर समाज उनकी प्रतिभा के लाभ से वंचित रह जाता है। वस्तुतः यह पूरे समाज की हानि है।

गतिविधि :

अपने गाँव या मोहल्ले तथा अन्य स्थानों पर असमानता के विभिन्न रूपों का अवलोकन करें।

पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्धता एवं भेदभाव

'पूर्वाग्रह' एक ऐसी धारणा है जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों की जाँच–परख किए केवल और केवल सुनी–सुनाई बातों पर आधारित होती है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अपनी पूर्व कल्पित धारणा को बदलने से इंकार करते हैं।

'रुढ़िबद्ध धारणा' व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है। रूढ़िबद्ध समाज में लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ऐसे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं जो कि अपरिवर्तनीय और कठोर होते हैं, जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में कुछ जातियों को जरायमपेशा जातियाँ घोषित कर दिया गया था। ऐसी पूरी जाति को अपराधियों का समूह मानकर उन पर कई प्रकार की पाबन्दियाँ लगा दी गई थीं। लेकिन ऐसा सोचना कुछ व्यक्तियों के बारे में तो सच हो सकता है, परन्तु उस पूरी जाति या समूह के लिए यह सच नहीं हो सकता।

'भेदभाव' दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है, जिसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं, जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। भेदभाव को न्यायोचित ठहराने के लिए भेदभाव के पीछे के मूल कारण की बजाय उसे अन्य दूसरे कारणों द्वारा प्रेरित बताने का व्यवहार भी देखा जाता है।

गतिविधि :

क्या आपने कभी अपने सामाजिक परिवेश में पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार देखे हैं ? यदि हाँ तो उनकी सूची बनाइए।

सामाजिक असमानता से ग्रस्त वर्ग

भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है, वह है– असमानता के विभिन्न स्वरूप और उसकी बहिष्कार उत्पन्न करने की क्षमता। भारत जैसे देश में रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक काल में ओर अधिक बलवती हुए। विश्व के अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा उसके बहिष्कार के विभिन्न रूप पाए जाते है।

1. भारत में जातिप्रथा का जो स्वरूप प्रचलित है, वह कुछ वर्गों के लिए अपमानजनक, बहिष्कारी तथा शोषणकारी है। अस्पृश्यता इसका अतिवादी रूप है। जाति–व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा प्रस्थिति (status) के आधार पर वर्गीकरण करती है। हालाँकि 19वीं शताब्दी से जातिप्रथा तथा व्यवसाय के बीच के संबंध काफी ढीले हुए हैं। अब व्यक्ति के लिए व्यवसाय परिवर्तन करना आसान हो गया है, क्योंकि अब परम्परागत व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय अपनाने के अवसर भी उपलब्ध हैं।
2. महिलाओं के खिलाफ हिंसा व भेदभाव की खबरें हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ अवसर की असमानता का शिकार रही हैं।
3. मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टि बाधित और शारीरिक रूप से बाधित 'विशेष योग्य जन' या 'अन्यथा सक्षम व्यक्तियों 'को भी समाज में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि समाज कुछ इस रीति से

बना है कि वह उनकी जरुरतों को पूरा नहीं करता।

4. भारत सहित पूरे विश्व में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की खबरें भी यदा–कदा मिलती हैं।

5. सभी तबकों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी समाज में हाशिये पर होते हैं।

इतिहास की विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग आदि पर आधारित भेदभावों के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं, किन्तु इसके बावजूद समाज में कुछ वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह बने रहते हैं। साथ ही अनेक नए पूर्वाग्रह भी उत्पन्न हो जाते हैं।

गतिविधि–

अपने परिवेश में असमानता व हाशियाकरण के शिकार समूहों की पहचान करके उनकी सूची बनाइए।

सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु प्रयास

समाज में जो सुविधाएँ और अवसर हम अपने लिए चाहते हैं, वही दूसरों को भी दें, यही सामाजिक न्याय है। ऐसा होने पर समतामूलक समाज बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर मिल पाएगा। तभी समूचे समाज की प्रगति हो पाएगी। सरकार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु कार्य कर रही है। भारत सरकार ने देश में वंचित व पिछड़े समुदायों की पहचान कर तीन तरह की सूचियाँ बना रखी हैं। पहली सूची 'अनुसूचित जाति' की है जिसमें समाज की वंचित वर्ग की अति निम्न समझी जाती रहीं जातियाँ सम्मिलित हैं। दूसरी सूची 'अनुसूचित जनजाति' की है, जिसमें आदिवासी जातियाँ सम्मिलित हैं। तीसरी सूची 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी वे जातियाँ सम्मिलित हैं जो कि प्रथम व द्वितीय सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं। इन वर्गों को विशेष बर्ताव का पात्र माना गया है। सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में इनके लिए कुछ स्थान या सीटें निर्धारित कर दी गई हैं।

1. केन्द्रीय व राज्यों के विधानमण्डलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तथा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए भी कुछ स्थान या सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। साथ ही इनके लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में भी स्थान आरक्षित कर दिये गए हैं। इसी सिद्धान्त को सरकार के अन्य विकास कार्यक्रमों और योजनाओं पर भी लागू किया गया है। इनमें से कुछ कार्यक्रम तो विशेष रूप से इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए लागू किए गये हैं, जबकि कुछ अन्य कार्यक्रमों में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

2. समाज में जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता को समाप्त करने और इन्हें रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' में सन् 1989 में संशोधन कर इन वर्गों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक मजबूत किया गया है।

3. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए भी कानून बनाकर कठोर

दण्डात्मक प्रावधान किए गए हैं। संविधान महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से जीविका प्रदान करने और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश देता है।

4. बालश्रम को गैरकानूनी घोषित कर प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कर दिया गया है।

5. विशेष योग्यजनों के लिए भी नौकरियों में स्थान आरक्षित किए गए हैं और उनके कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

6. धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट संस्कृति , भाषा व लिपि को बनाए रखने का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए वे अपने शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं।

कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने अथवा स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है। इसके लिए जागरूकता एवं संवेदनशीलता युक्त सतत् सामाजिक अभियान की आवश्यकता है।

शब्दावली

औपनिवेशिक काल	–	वह समय जब भारत को दूसरे देश से आए हुए लोगों (ब्रिटिश) ने अपने अधीन करके शासन किया।
अस्पृश्यता	–	छुआछूत
अल्पसंख्यक	–	जनसंख्या में धार्मिक व भाषायी रूप से छोटा समूह
हाशिया	–	मुख्य धारा से अलग–थलग, समाज का वह भाग जो सत्ता और संसाधनों की पहुँच से दूर है।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है–

(अ) परिश्रम का अन्तर (ब) योग्यता का अन्तर

(स) अवसरों की असमानता (द) प्रयासों का अन्तर ( )

(ii) अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण है–

(अ) पूर्वाग्रह (ब) रूढ़िबद्धता

(स) भेदभाव (द) उपर्युक्त सभी ( )

(iii) सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है–

(अ) व्यक्ति की (ब) समाज की

(स) सरकार की (द) उपर्युक्त सभी की ( )

2. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(i)	वंचित वर्ग की जातियाँ	अन्य पिछड़ा वर्ग
(ii)	आदिवासी जातियाँ	अल्पसंख्यक
(iii)	सामाजिक,आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी अन्य जातियाँ	अनुसूचित जन जाति
(iv)	जनसंख्या में धार्मिक व भाषायी रूप से छोटा समूह	अनुसूचित जाति

3. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(i) .....जाति प्रथा का अतिवादी रूप है।

(ii) अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं को ..... .कहते हैं।

(iii) विश्व के 80 प्रतिशत गरीब लोग केवल..... प्रतिशत संसाधनों के सहारे अपना जीवन बिताते हैं।

4. समाज में आर्थिक असमानता के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए।

5. सामाजिक बहिष्कार क्या है ? इसके क्या प्रभाव होते हैं ?

6. भारत में सामाजिक असमानता से ग्रस्त वर्गों की जानकारी दीजिए।

7. सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।